

**बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग**

आदेश

संख्या : वन भूमि- 36/2012-335(5)/प०व०,

पटना- 15, दिनांक : 13/07/15

नवीनगर रेलवे स्टेशन रोड से BRBCL नवीनगर थर्मल पावर प्लांट तक रेल लाईन के निर्माण हेतु 2.348 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के पत्रांक 5-BHB-175/2012-BHU दिनांक 04.04.2013 द्वारा सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज- I) प्रदान की गयी है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 3632 दिनांक 30.12.2013 द्वारा स्टेज- 1 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत विभागीय पत्रांक 42 (ई०) दिनांक 17.01.2014 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर से अंतिम स्वीकृति का अनुरोध किया गया था।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक 5-BHB-175/2012-BHU/63 दिनांक 24.06.2015 द्वारा नवीनगर रेलवे स्टेशन रोड से BRBCL नवीनगर थर्मल पावर प्लांट तक रेल लाईन के निर्माण हेतु 2.348 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गयी है :-

1. Legal status of diverted forest land shall remain unchanged.
2. Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency.
3. Compensatory Afforestation shall be raised and maintained for 10 years over $2.348 \times 2 = 4.696$ ha of degraded forest land identified by State Govt. at the cost of the user agency by State Forest Department.
4. The User Agency has to pay the amount required for implementing the scheme of strip plantation along the Railway line.
5. The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.
6. Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the Forest Department.

7. Earth of any other material shall not be brought from and debris resulting during construction nor shall be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.
8. It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.
9. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Ministry of Environment, Forests & Climate Change.
10. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other user agency, department or person without prior approval of MoEF&CC.
11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for carrying out any activity related to the project work.
12. The user agency while executing works, shall not fell any tree or damage forest growth in the surrounding forest area in any manner.
13. The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.
14. The user agency shall submit annual self monitoring report on compliance of stipulated conditions to the Nodal Officer (FCA) of the State and Regional Office of this Ministry.
15. The user agency and the State Government shall ensure compliance of provisions of all the Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
16. Any other conditions that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area shall be complied by the user agency.
17. In case of non-compliance of any of the above conditions, the State Govt. shall report to this office as per procedure laid down in the clause 1.9 of guidelines issued under Forest (Conservation) Act, 1980.

अतः तद्आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक 5-BHB-175/2012-BHU/63 दिनांक 24.06.2015 द्वारा अपयोजन संबंधी

निर्गत आदेश एवं पत्रांक F.No.- 7-23/2012 FC दिनांक 24.07.2013 द्वारा निर्गत आदेशानुसार नवीनगर रेलवे स्टेशन रोड से BRBCL नवीनगर थर्मल पावर प्लांट तक रेल लाईन के निर्माण हेतु 2.348 हे० वन भूमि अपयोजन की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति के पत्र को समेकित रूप से दो स्थानीय समाचार पत्र (एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी) में अक्षरशः प्रकाशित कराना होगा।
2. प्रयोक्ता एजेंसी, अंतिम स्वीकृति के पत्र को स्थानीय निकाय प्रधान के कार्यालय पट्ट पर 30 दिनों के लिए प्रदर्शनार्थ, निकाय प्रधान को सौंपना होगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने क्षेत्राधीन पड़ने वाले वन भूमि को पारेषण लाईन निर्माण के लिए अंतिम रूप से विमुक्त करते हुए इसे अभिलेख में दर्ज किया जायेगा तथा इसका सीमांकन कराया जायेगा। तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को एवं नोडल पदाधिकारी वन (संरक्षण), बिहार को उपलब्ध कराया जायेगा।

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक : वन भूमि- 36/2012-33558/प०व०,

पटना- 15, दिनांक : 13/08/15

प्रतिलिपि : सहायक वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, FC डिविजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली- 110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी वन (संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक, गया/M/s भारतीय रेल बिजली कम्पनी लि०, प्रोजेक्ट नवीनगर, जिला- औरंगाबाद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राँची से प्राप्त अंतिम स्वीकृति पत्र के साथ सूचनार्थ, कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शनार्थ (30 दिनों तक) प्रेषित।

संबंधित सहायक, गार्ड फाइल में संधारण/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण एवं वन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अविलंब अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव